न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 260 दिनांक 26/10/2021

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार ~~[illegible]~~ के आधार पर ग्राम पंचायत [illegible] प.ह. पमाट के राजस्व रिकार्ड 520, 121, 14, 111, 116 में दर्ज खातेदार केसर, केवरा, केसाराम पुत्र [illegible] के स्थान पर केवरमल पुत्र [illegible] दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं किसी भी न्यायालय का आदेश न होने से दर्ज नहीं

तहसीलदार दांतारामगढ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर